

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमायू मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तराखण्ड।

M
मा पर्याप्त
Q
D.

सूचना अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 09 जनवरी, 2020

विषय : 71 वें गणतन्त्र दिवस समारोह-2020 के आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश।

महोदय,

आगामी 26 जनवरी, 2020 को गणतन्त्र दिवस समारोह मनाये जाने की दृष्टि से मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस समारोह के आयोजन हेतु कार्यक्रम की रूप-रेखा विशेष परिस्थितियों में अपरिहार्यता की दशा में स्थानीय स्तर पर सुविधानुसार न्यून संशोधन के प्रतिबन्धाधीन, निम्नवत् होगी :-

1. गणतन्त्र दिवस के शुभ अवसर पर प्रमुख राजकीय भवनों के प्रकाशीकरण की कार्यवाही दिनांक 25.01.2020 एवं दिनांक 26.01.2020 को की जायेगी। प्रकाशीकरण का समय सायंकाल 6:00 बजे से 11:00 बजे तक रहेगा। इसमें कम वोल्टेज के बल्बों/एल.ई.डी. का प्रयोग सुनिश्चित किया जायेगा, तथा इस कार्य में नगर निगम, मस्सूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, व्यापार संघों तथा स्थानीय गैर-सरकारी संस्थाओं की सहभागिता भी सुनिश्चित की जायेगी।

(कार्यवाही : समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/पुलिस महानिदेशक/जिलाधिकारी, देहरादून/उपाध्यक्ष, एम.डी.डी.ए./एम.एन.ए., नगर निगम, देहरादून)

2. सूचना विभाग द्वारा प्रदेश मुख्यालय में प्रमुख चौराहों पर दिनांक 25 जनवरी 2020 को सायं 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक तथा दिनांक 26 जनवरी, 2020 को प्रातः 6:00 बजे से 11:00 बजे पूर्वान्ह तक लाउडस्पीकर के माध्यम से देशप्रेम एवं देशभक्ति के गीतों का प्रसारण किया जायेगा।

(कार्यवाही—सूचना निदेशालय/समस्त जिलाधिकारी)

3. गणतन्त्र दिवस की पूर्व संध्या पर देहरादून में संस्कृति विभाग द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून के सहयोग से टाउन हॉल में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा जिसमें जनपद देहरादून में निवासित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी आमंत्रित किया जायेगा। कवि सम्मेलन में अच्छे कवि बुलाये जायें एवं कवि सम्मेलन के आयोजन का विज्ञापन भी प्रकाशित कराये जायें। उत्तराखण्ड राजभवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

(कार्यवाही : प्रमुख सचिव, संस्कृति/जिलाधिकारी, देहरादून/निदेशक, संस्कृति विभाग)

4. गणतन्त्र दिवस की पूर्व संध्या पर श्री राज्यपाल महोदय के संदेश का दूरदर्शन एवं रेडियो पर प्रसारण की व्यवस्था सूचना विभाग द्वारा यथासमय सुनिश्चित कर ली जायेगी। इस निमित्त राजभवन सचिवालय द्वारा यथापेक्षित गत एक वर्ष की उपलब्धियों एवं नीतियों का विवरण सभी विभागों द्वारा अविलम्ब सूचना विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा जिसके आधार पर सूचना विभाग द्वारा संदेश का आलेख सचिव, श्री राज्यपाल को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(कार्यवाही : सचिव, सूचना विभाग/समस्त प्रमुख सचिव)

5. दिनांक 26.01.2020 को सचिवालय, जनपद मुख्यालयों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों एवं शासकीय कार्यालयों में प्रातः 9:30 बजे झण्डारोहण किया जायेगा।

(कार्यवाही : समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/जिलाधिकारी)

6. संबंधित जिलाधिकारी अपने जनपदों में जनपद के प्रभारी मा० मंत्रीगण को ध्वजारोहण हेतु यथासमय 3. उरोध पत्र प्रेषित करेंगे। यदि जनपद के प्रभारी मा० मंत्रीगण समारोह में उपस्थित होने में असमर्थ हों, तब जनपद के निवासी मा० मंत्रीगण को ध्वजारोहण हेतु आमंत्रित करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में मण्डलायुक्त द्वारा उनकी भी अनुपस्थिति की दशा में जिलाधिकारी द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा तत्पश्चात् सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

(कार्यवाही : संबंधित मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी)

7. राजधानी में मुख्य समारोह परेड ग्राउण्ड में प्रातः 10:30 बजे प्रारम्भ होगा। समारोह के मुख्य अतिथि श्री राज्यपाल महोदय होंगे। आयोजन स्थल की सजावट सलामी स्थल का विकास कार्य, बैरिकेटिंग एवं अन्य निर्माण कार्यों का समन्वय जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून, उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून एवं मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा किया जायेगा। गणतन्त्र दिवस समारोह का समापन राष्ट्रीय गान के साथ सम्पन्न किया जाय।

(कार्यवाही : जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून/उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून/मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून)

8. परेड ग्राउण्ड में आयोजित समारोह को मनोहर बनाने हेतु वायु सेना द्वारा कतरब का आयोजन किया जायेगा तथा राज्य सरकार द्वारा चौपर के माध्यम से झण्डारोहण के समय फूलों की वर्षा की जायेगी। इस संबंध में सूचना विभाग द्वारा नागरिक उड़ड़यन विभाग एवं भारतीय वायु सेना को व्यवस्था कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही : भारतीय वायु सेना, सचिव, सूचना, नागरिक उड़ड़यन विभाग, उत्तराखण्ड शासन/जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून)

9. परेड ग्राउण्ड में आयोजित परेड में पूर्ववत् सेना, आई.टी.बी.पी., सी.आई.एस.एफ., बी.एस.एफ., एस.एस.बी., सिविल पुलिस, पी.ए.सी., होमगार्ड, पी.आर.डी., एन.एस.एस., भूतपूर्व सैनिकों एवं स्काउट गार्ड्स आदि द्वारा भाग लिया जायेगा। परेड का नेतृत्व सेना के अधिकारी द्वारा किया जायेगा। परेड में सेना तथा पी.ए.सी. बैण्ड शामिल होंगे। परेड में सेना एवं उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा अलग से भी पाइप बैण्ड के कार्यक्रम का प्रदर्शन किया जायेगा। परेड के समन्वय का सम्पूर्ण दायित्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून का होगा जो सेना एवं अन्य सैनिक/अर्द्ध सैनिक बलों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर परेड की तैयारी, रिहर्सल एवं सुचारू संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में सब एरिया कमान्डर, हैडक्वार्टर्स, देहरादून को पाइप बैण्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा पत्र प्रेषित किया जाय।

परेड प्रदर्शन में उत्कृष्ट परेड दल के चयन (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) के लिये प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में सेना तथा महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक पुलिस, आई.टी.बी.पी., एस.एस.बी. की समिति का गठन किया जायेगा। उत्कृष्ट झाँकियों के चयन (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) के लिये प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति तथा प्रमुख सचिव/सचिव, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग द्वारा नामित अधिकारी सदस्य होंगे। सर्वश्रेष्ठ दल एवं झाँकी को समारोह में पुरस्कृत भी किया जायेगा जिसकी व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी। श्री राज्यपाल महोदय द्वारा पूर्व परम्परानुसार उत्कृष्ट पुलिस सेवा के अधिकारियों को मैडल प्रदान कर पुरस्कृत किया जायेगा।

(कार्यवाही : प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना/लघु एवं सूक्ष्म उद्योग/संस्कृति तथा जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून)

10. परेड के तुरन्त बाद राजकीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के मात्र तीन समूहों (9 एवं 11 वी कक्षा तक) द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किये जायेंगे तत्पश्चात् पूर्व की भाति विभिन्न विभागों के द्वारा झाँकियों का प्रदर्शन किया जायेगा। झाँकियों के चयन के लिये प्रमुख सचिव, संस्कृति के स्तर पर विभागीय सचिवों के साथ अलग से बैठक कर झाँकी की विषयवस्तु को अन्तिम रूप दिया जायेगा। झाँकियों का स्वरूप आकर्षक एवं समसामयिक होना चाहिए तथा उन्हें तैयार करने हेतु बजट की व्यवस्था स्वयं विभागों द्वारा की जायेगी। परेड में सर्वश्रेष्ठ प्रथम, द्वितीय व तृतीय झाँकी को पुरस्कृत किया जायेगा। झाँकी प्रस्तुत करने हेतु समस्त प्रमुख सचिव/सचिव को संस्कृति विभाग द्वारा पत्र प्रेषित किया जायेगा।

झाँकियों के संबंध में निर्देश दिये गये कि जिन विभागों द्वारा झाँकिया प्रस्तुत की जानी है, के विषय वस्तु संबंधी प्रस्ताव विलम्बतम् दिनांक 12 जनवरी, 2020 तक निदेशक, संस्कृति को उपलब्ध करायेंगे। उक्त संबंध में सचिव, सूचना आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे।

(कार्यवाही : समस्त प्रमुख सचिव/सचिवगण/पुलिस महानिदेशक, सूचना/शिक्षा/जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून)

11. परेड ग्राउण्ड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनपद देहरादून के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के तथा साथ अन्य जनपदों के किन्तु देहरादून में आवासित स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को भी सम्मानित किया जायेगा। इस संबंध में जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा सभी जनपदों से आवश्यक समन्वय करते हुये व्यवस्थायें की जायेंगी। इसके अतिरिक्त जनपद मुख्यालयों पर आयोजित समारोह के दौरान भी सर्वधित जनपद के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करने हेतु सम्मान पत्र का प्रेषण आदि व्यवस्थायें गृह विभाग के माध्यम से समन्वय करते हुये जिलाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जायेंगी।

(कार्यवाही : प्रमुख सचिव, गृह/समस्त जिलाधिकारी, देहरादून)

12. गणतन्त्र दिवस के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिनांक 14.01.2020 से दिनांक 31.01.2020 तक प्रदेश में समस्त शासकीय विभागों/स्थानीय निकायों द्वारा व्यापक सफाई अभियान चलाया जाय। इस कार्य के लिए मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी स्थानीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित कर विशेष सफाई अभियान चलायेंगे। मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जायेगा।

(कार्यवाही : समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी)

13. प्रायः देखा गया है कि गणतन्त्र दिवस समारोह के उपरान्त Hand Flags अव्यवस्थित रूप से यहां-वहां गिरे रहते हैं, जिससे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है। अतः इस संबंध में अव्यवस्थित ढंग से पड़े हुए Hand Flags को एकत्रित किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही : समस्त जिलाधिकारी)

14. झांकियों के बाद परेड ग्राउण्ड में संक्षिप्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। सांस्कृतिक दलों का चयन सचिव, संस्कृति विभाग द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून एवं निदेशक, संस्कृति/शिक्षा विभाग से समन्वय करते हुए किया जायेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम इस प्रकार आयोजित किए जायेंगे जिनसे उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक विरासत की भव्यता व विविधता का प्रदर्शन हो।

(कार्यवाही : सचिव, संस्कृति/निदेशक संस्कृति/शिक्षा/जिलाधिकारी, देहरादून)

15. समारोह हेतु निमन्त्रण पत्रों के प्रकाशन, ई-इन्विटेशन की व्यवस्था एवं वितरण की व्यवस्था जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा की जायेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अधिक से अधिक महानुभाव समारोह में अनिवार्य रूप से आमंत्रित किये जाएं और उन्हें यथोचित सम्मान भी प्रदान किया जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधी निमंत्रण पत्र संस्कृति विभाग द्वारा छपवाये जायेंगे और उनका वितरण दिनांक 25.01.2020 तक जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा कराया जायेगा।

(कार्यवाही : समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/जिलाधिकारी, देहरादून/महानिदेशक, सूचना)

16. यह भी निर्देश दिये गये कि गणतन्त्र दिवस समारोह जैसे राष्ट्रीय पर्व को इस तरह से मनाया जाय कि जिससे राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिक सौहार्द की भावना बलवती हो। समारोह में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो एवं उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक धरोहर प्रतिबिम्बित हो। विभागीय अधिकारियों की अनिवार्य सहभागिता/उपस्थिति हेतु समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा पृथक से विभागीय निर्देश निर्गत किए जायेंगे। यह भी अपेक्षा की गई कि सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पूर्ण उत्साह के साथ इस राष्ट्रीय पर्व में प्रतिभाग किया जाय। इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर सभी अधिकारीगण अपनी सहभागिता/उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही : समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी)

भवदीय,

\
(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या— 12 /XXII-2 /2020— 80(10)2010 तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण को मा. मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ।
4. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. प्रमुख सचिव / सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक, पुलिस, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
10. मेयर, नगर निगम, देहरादून / समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
13. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
14. एन.आई.सी., सचिवालय।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(दिलीप जावलकर)
सचिव।